2-22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27.12.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

27/12/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थिया का प्रा०प० स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या–244/22 प्रा०पत्र

1–श्रीमती नन्दु देवी w/o हरदेव भील निवासी भील्याखेड़ा तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री कालु s/o धीसू भील निवासी सिरड़िया तहसील माण्डल [मृतक]
(अंकित प्रा०पत्र)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक –27.12.22

::आदेश::

ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम सिरड़िया पटवार हल्का धावड़ी तहसील माण्डल मे उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 421 कुल किता 01 रकबा 0.7967 ा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को क्नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते सर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिरड़िया पटवार धावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 421 किता 01 रकबा 0.7967 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख ाक भू.अ.नि. को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने क्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार र पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

ालिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार गढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा